समक्ष श्रीमान् सदस्य महोदय, राजस्व मण्डल कैंप भोपाल

III/निगरानी/सीहोर/भू.रा./2017/3317 रिविजन प्रकरण कमांक----/2017

सै0सरवर हुसेन आयु लगभग 60 वर्ष
पुत्र श्री सै0 अनवर हुसेन
निवासी 18 लेकव्यू कॉलोनी,
कोहेफिजा, भोपाल म0प्र0 ----- रिविजनकर्ता

विरूद्ध

138

अभिभाषक श्री संतोष वर्मा
द्वारा आज दिनांक 5/9/17
को पेश।

1— म0 प्र0 शासन
द्वारा कलेक्टर सीहोर म0प्र0

2— अनुविभागीय अधिकारी,
सीहोर जिला—सीहोर म0प्र0 --रेस्पांडेंट

--- रिविजन अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भूराजस्व संहिता ---

रिविजनकर्ता अधिनस्थ अनुविभागीय अधिकारी सीहोर द्वारा पारित आदेश दिनांक निल जो कि राजस्व प्रकरण कमांक 537--बी/121/ 2016—17 (प्र0क0 162 बी—14/2016—17) में पारित कर रिविजनकर्ता को बिना सुनवाई अवसर दिये पुर्नविलोकन की अनुमति प्रदान की है, से दुःखी एवं त्रस्त होकर **यह रिविजन** निम्न आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है :-

--प्रकरण के तथ्य--

1— यह कि रिविजनकर्ता द्वारा दिनांक 31 मार्च 2007 को ग्राम झरखेड़ा स्थित भूमि खसरा कमांक 682/4 रकबा 4.00 एकड़ विक्रेता श्यामलाल पुत्र नंदराम से कय की गई थी, इस भूमि का नामान्तरण रिविजनकर्ता के पक्ष में नायबतहसीलदार टप्पा दौराहा द्वारा प्रकरण कमांक 29/अ--6/06--07 के माध्यम से दिनांक 25--07—2007 को किया गया था ।

2— यह कि रिविजनकर्ता द्वारा दिनांक 09 फरवरी 2007 को ग्राम झरखेड़ा स्थित भूमि खसरा कमांक 682/9 रकबा 3.50 एकड़ को पंजीयत विक्रयपत्र के माध्यम से शंकरलाल पुत्र मोहनलाल से कय किया गया था जिसका नामान्तरण नायब तहसीलदार टप्पा दौराहा द्वारा प्रकरण कमांक 9/अ--6/2008—09 आदेश दिनांक 29—12—2008 के माध्यम से रिविजनकर्ता के पक्ष में किया गया था ।

102

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश प्रष्ठ

प्रकरण क्रमांक III / निग / सीहोर / भू.रा. / 17 / 3317 — [illegible]

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषको के हस्ताक्षर
18/01/19	आवेदक की ओर से श्री संतोष वर्मा .... अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी सीहोर .... के प्रकरण क्रमांक 537/अ-121/16-17, 162/अ-14/16-17 में पारित आदेश दिनांक 4-7-17 .... के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू.राजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला सीहोर .... के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 23/4/19 .... को कलेक्टर जिला सीहोर .... के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । सदस्य	